प्रेस नोट थाना रोजा
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक-09.09.25

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा UPSSSC PET-2025 की दिनांक 07.09.2025 की द्वितीय पाली में किसी दूसरे व्यक्ति की परीक्षा दे रहे अभियुक्त को मय फर्जी आधार कार्ड, ओ0एम0आर0 शीट,प्रश्न पत्र के साथ किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 09.09.2025 को थाना रोजा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनिता द्विवेदी पत्नी श्री अतुल द्विवेदी निवासी निकट सुनहरी मस्जिद मंडी मोड थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर प्रधानाचार्ज जान नेव सीनियर सेकेण्डरी स्कूल शाहजहांपुर, द्वारा दिनांक 08.09.2025 को **PET-2025 की दिनांक 07.09.2025 की द्वितीय पाली में किसी दूसरे अभ्यर्थी के नाम से परीक्षा दे रहे अभ्यार्थी को संदिग्धता के आधार पर थाना पुलिस के सुपूर्द कर तथा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 485/25 धारा 318(2),319(2),318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस-2025 व धारा 3/10 उ0प्र0 पब्लिक परीक्षा(निवारण) अधि0 -2024 पंजीकृत कराया गया था उक्त अभियोग** की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना रोजा पुलिस द्वारा संदिग्ध अभ्यर्थी से पूछताछ की गयी तो उक्त अभ्यर्थी बार बार अपने को वास्तविक अभ्यर्थी बताते हुए अपना नाम नितीश कुमार पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ बताता रहा है तत्पश्चात बार-बार गहनता से पूछताछ करने पर उक्त फर्जी अभ्यर्थी द्वारा स्वीकर किया गया कि उसका वास्तविक नाम विवेक कुमार मण्डल पुत्र प्रकाश प्रसाद निवासी ग्राम भवानी विगहा थाना वारिस अलीगंज जिला नवादा बिहार है ।वास्तविक अभ्यर्थी नितिश कुमार उपरोक्त की तलाश हेतु दिनांक 08.09.2025 को एक टीम जनपद आजमगढ एवं अभियुक्त की पहचान हेतु एक टीम को बिहार के लिए भेजा गया। अभियुक्त द्वारा फर्जी अभ्यर्थी होना स्वीकार करने तथा वास्तविक नाम विवेक कुमार मण्डल व पता तस्दीक होने पर अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

विवेक कुमार मण्डल पुत्र प्रकाश प्रसाद निवासी ग्राम भवानी विगहा थाना वारिस अली गंज जिला नवादा बिहार उम्र करीब 31 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 485/25 धारा 318(2),319(2),318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस-2025 व धारा 3/10 उ0प्र0 पब्लिक परीक्षा (निवारण)अधि0 -2024 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी पूछताछ:-

पकडे गये संदिग्ध अभ्यर्थी से गहना से पूछताछ की गयी तो उक्त संदिग्ध अभ्यर्थी द्वारा अपना नितिश पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ बताया जो कि उस अभ्यर्थी का नाम पता था जिसके स्थान पर संदिग्ध अभ्यर्थी परीक्षा देने आया था अभ्यर्थी के पास से उसका फर्जी आधार कार्ड, फोटो प्राप्त हुआ अभ्यर्थी उपरोक्त पूछताछ के दौरान बार बार अपने को वास्तविक अभ्यर्थी नितीश कुमार बताता रहा पुनः गहनता के साथ पूछताछ की गयी तो उक्त संदिग्ध अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भ में अपना नाम विवेक कुमार मण्डल पुत्र प्रकाश प्रसाद निवासी ग्राम भवानी विगहा थाना वारिस अली गंज जिला नवादा बिहार उम्र करीब 31 वर्ष होना पाया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा यह बताया कि गया कि वह माह जून

2024 में बनारस रेलवे स्टेशन पर श्याम कृष्ण पुत्र माधव सिंह निवासी बडागांव केशवपुरा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ से मिला था जहाँ हमारी आपस में दोस्ती हो गयी उसके बाद श्याम कृष्ण उपरोक्त ने मुझे उसके स्थान व एक अन्य अभ्यर्थी नितिश पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ के नाम से UP PET-2025 की परीक्षा देने को कहा जिसके लिए मुझे रुपये 20000/- देने के लिए कहा गया था जिसमें से 10000/- रुपये एडवांस में मैने ले लिए थे तथा दिनांक 05.09.2025 को मै अपने घर से लखनऊ आया जहाँ से श्याम कृष्ण सिहं मुझे गाडी से हरदोई लेकर गया जहाँ पर मैने दिनांक 06.09.2025 की द्वितीय पाली में श्याम कृष्ण सिंह के नाम से UP PET-2025 की परीक्षा आर्चसिया इण्टरनेशन स्कूल भगोली हरदोई में दी। इसके बाद श्याम कृष्ण सिंह मुझे एक अन्य अभ्यर्थी नितिश की परीक्षा देने के लिए शाहजहाँपुर लेकर आया जहाँ पर मै जान नेव सीनियर सेकेण्डरी स्कूल शाहजहांपुर में नितिश के स्थान पर परीक्षा देने के लिए शामिल हुआ।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त श्याम कृष्ण पुत्र माधव सिंह निवासी बडागांव केशवपुरा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ एवं अभियुक्त नितिश पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ की तलाश हेतु टीमें गठित कर जनपद आजमगढ में लगातार दबिश दी जा रही है उक्त अभियुक्तगण को शीघ्र गिरफ्तार किया जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार
4. उ0नि0 श्री सागर